एकतरफा

पक्षकारी कार्रवाई निर्णय हेतु 18.12.24 को पेश हों।

18.12.24

पक्षकारी पेश। वकील कार्यवाही। वाद कार्यवाही स्वीकार किया जाता है, विस्तृत निर्णय टि.कि. पृथक से लिखकर जारी आ.पत्र. किया गया। पक्षकारी फैसला इजरा की जावे एवं तामील पश्चात दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा राजस्थान

पीठासीन अधिकारी–

रामावतार मीणा आर.ए.एस.

नियमित वाद पत्र 74/2011

1– जानकीलाल पुत्र श्री गंगाराम जाति बैरवा निवासी ग्राम घाटोलिया तहसील सांगोद मृतक जर्ये कायम मुकामानः–

1/1 नट्टी बाई पत्नि श्री जानकीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम घाटोलिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
1/2 बनवारीलाल पुत्र श्री जानकीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम घाटोलिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
1/3 रामेश्वर पुत्र श्री जानकीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम घाटोलिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
1/4 दुर्गाशंकर पुत्र श्री जानकीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम घाटोलिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
1/5 शिवप्रसाद पुत्र श्री जानकीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम घाटोलिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
1/6 सुगना बाई पुत्री श्री जानकीलाल जाति बैरवा निवासी ग्राम घाटोलिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

2– रामरतन पुत्र श्री गंगाराम जाति बैरवा निवासी ग्राम घाटोलिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

–वादीगण–

बनाम

1– भैरूलाल पुत्र श्री हीरालाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम घाटोलिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान मृतक जर्ये कायम मुकामानः–

1/1 चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री भैरूलाल जाति गूर्जर निवास कोटा जंक्शन जिला कोटा राजस्थान।
1/2 पार्वती पुत्री श्री भैरूलाल जाति गूर्जर निवास कोटा जंक्शन जिला कोटा राजस्थान।

उपखण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

2.....लगातार

Scanned with OKEN Scanner

2– मोहनलाल पुत्र श्री हीरालाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम घाटोलिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान मृतक जर्ये कायम मुकामानः–

1/1 कमला बाई पत्नि श्री मोहनलाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम घाटोलिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
1/2 नरेन्द्र पुत्र श्री मोहनलाल गूर्जर निवासी ग्राम घाटोलिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान

3– प्रेम बाई पुत्री श्री हीरालाल जाति गूर्जर निवासी रामगजमंडी तहसील रामगजमंडी जिला कोटा राजस्थान।

दावा बाबत स्वत्व घोषणा इन्द्राज दूरूस्ती
एंव स्थाई निषेधज्ञा 88,188,89 आर.टी.एक्ट.

उपस्थितिः–

1– सत्येन्द्र कुमार गुप्ता एडवोकेट (अधिवक्ता वादी)
2– एकतरफा प्रतिवादी के हि.

–:: निर्णय ::–

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 10.06.1994 को वादीगण द्वारा एक वाद पत्र ग्राम घाटोलिया की खसरा नम्बर 126 की 9 बीघा 2 बिस्वा आराजी स्थित थी, वादीगण के पूर्वेज चोकीदारी का काम करते थे, जो 100 वर्ष से भी अधिक समय से करते चले आ रहे है, उक्त वर्णित आराजी वादी तथा उसके पूर्व उसके पिता के चोकीदारी में खाते में दर्ज थी, वादीगण तथा उनके पूर्वेजों का वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 126 की 9 बीघा 2 बिस्वा पर बहैसियत खातेदार कृषक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व एंव जागीर रिज्यूमशन होने के पूर्व से वादी तथा उनके पूर्वेजों का वादग्रस्त भूमि पर निरन्तर निर्बाध रूप से कब्जा स्वामित्व चला आ रहा है, एंव आज भी वादी ही वादग्रस्त आराजी पर काबिज है, वादीगण ने काफी पैसा खर्च करके सिंचित अवस्था में कर लिया है, वादी तथा इसके पूर्व वादी के पूर्वेज वादग्रस्त भूमि काश्त करते चले आ रहे है, नकल राजस्व रेकार्ड खसरा गिरदावरी 2047 सम्वत् 2050 नकल चतुवर्षीय खसरा गिरदावरी 2047 एंव नकल खसरा गिरदावरी 2015 से 2018, 2019 से 2034 में वादी के पूर्वेजो का नाम बहैसियत कृषक दर्ज है, जो वाद पत्र के साथ संलग्न है। लगान भी वादीगण ही जमा कराते आ रहे है, लगान की रसीदान संलग्न है, उक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी रामगजमंडी के यहां वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया, प्रतिवादीगण की और से अधिवक्ता प्रस्तुत हुये, परन्तु उनकी और से कोई जवाब प्रस्तुत

3.....लगातार

उपखण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

नही हुआ, दोराने वाद वादी जानकीलाल की मृत्यू हुई, उसके वारिसान को रेकार्ड पर
लिया गया, तथा प्रतिवादी भैरूलाल एंव मोहनलाल की मृत्यू हो जाने पर उनके
वारिसान को रेकार्ड पर लेकर उनको इत्तला दी गई, परन्तु कोई भी प्रतिवादी हाजिर
नही आया, उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये, विवादित
आराजी के सेटलमेन्ट के बाद नये नम्बरान कायम किये गये है, जो 447 की 1.76
हैक्टर है, कायम किये गये, प्रतिवादीगण एंव उनके वारिसान हाजिर नही होने पर
उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई, वादी की और से साक्ष्य में
गवाहान प्रस्तुत कर रेकार्ड को प्रदर्शित करवाया गया। बहस एक तरफा सुनी गई,
दोराने बहस वादी के अधिवक्ता ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन
किया कि खसरा गिरदावरी 2015 से 2018 में वादीगण के दादा का नाम बहैसियत
उपकृषक दर्ज है, तथा प्रतिवादीगण ने 1985 में वाद संख्या 195/85 वादीगण के
विरूद्व बेदखली का वाद प्रस्तुत किया था, उक्त वाद पत्र के जवाब में वादीगण द्वारा
12 वर्ष के पूर्व से अधिक समय से कब्जा होना एंव 12 वर्ष से अधिक समय से कब्जा
होना अंकित किया है, तथा कब्जा प्राप्त करने की मियाद समाप्त होना अंकित किया
है, उक्त भूमि माफी चोकीदारी की बताते हुये पूर्वजों के समय से कब्जा होना अंकित
किया, तथा कब्जा 100 वर्षो से अधिक समय से होना अंकित कर रखा है, तथा
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभावी होने के पूर्व से कब्जा होना अंकित किया
है, उक्त वाद के जवाब के तथ्यों को प्रतिवादीगण की और से किसी भी प्रकार का
मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य से खंडन नही किया है। तथा उक्त 183 का वाद
दिनांक 29.04.1989 को खारिज अदम हाजरी, अदम पेरवी में खारिज हो गया है।
वकील वादी ने अपनी बहस के करते हुऐ न्यायालय में प्रस्तुत मौखिक एंव दस्तावेजी
साक्ष्य की और ध्यान दिलाते हुये निवेदन किया, कि विवादित आराजी पर हमारा कब्जा
चला आ रहा है, तथा प्रतिवादी के खातेदारी अधिकार समाप्त हो गये है, तथा कब्जा
प्राप्त करने की मियाद भी समाप्त हो चुकी है, वादी की और से गवाह रामरतन एंव
रामेश्वर के बयान लेखबद्व करवाये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी 47 से 50 प्रदर्श।
प्रदर्शित करवाई गई तथा प्रदर्श सरपंच ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र कब्जे के बाबत
प्रदर्श पी–3 जिलाधीश का पत्र पी–3 खसरा गिरदावरी प्रदर्श पी–4 खसरा गिरदावरी
2034 से 2039 एंव खसरा गिरदावरी 2023 से 2026 पी–5 खसरा गिरदावरी 2030
पी–6, खसरा गिरदावरी 2018 पी–7, 2019 से 2022 पी–8, 2035 से 2038 पी–9,
2047 पी–10 तथा च–11 एंव पी–12 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये है। दौराने बहस
वकील वादी ने जमाबंदी सम्वत् 2022–2025 की और भी न्यायालय का ध्यान आकृषित
किया, जिसमें गंगाराम पुत्र श्री भंवरलाल जाति चमार के चौकीदारी में भूमि दर्ज थी,
जिसमें दिनांक 01.03.1960 को रिज्यूम होने का अंकन भी दर्ज है, परन्तु सेटलमेन्ट
अधिकारियों ने उक्त नाम पर लाईने डालकर उक्त नाम को काट दिया, तथा कंवरा,
वीरा, घांसी का नाम गैर खातेदारी में दर्ज कर दिया, जिसका सेटलमेन्ट अधिकारियों
को कोई अधिकार कानूनन नही था, तथा इस तरह का आदेश किसी सक्षम न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी/उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

से प्राप्त किये बिना उक्त इन्द्राजात को काटा गया है, जो प्रारम्भ से शून्य है, तथा गंगाराम वादीगण के पूर्वेजो का नाम 1960 से पूर्व बहैसियत गैर खातेदार दर्ज होना उक्त जमाबंदी से भी प्रमाणित है। उक्त सभी दस्तावेज में वादीगण के पिता का बहैसियत उपकृषक नाम दर्ज है, इन सभी दस्तावेज से प्रमाणित होता है कि वादीगण के पिता के समय ही बहैसियत उपकृषक आराजी काश्त करते चले आ रहे है, तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आते समय भी वादीगण के पिता उपकृषक दर्ज थे, जिससे स्वतः ही वादीगण के पिता विवादित आराजी के खातेदारी कृषक बन गये है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक एंव दस्तावेजी साक्ष्य से वादीगण का कब्जा बहैसियत उपकृषक काफी लम्बे समय से दर्ज है, वादीगण की और से RLW 1981 Page-217, RRD 1981 Page-549, RRD 1977 Page-479 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त निर्णय के परीपेक्ष में वादीगण खातेदार कृषक बन गये है, उक्त न्याय निर्णय का सम्मान पूर्वक अवलोकन किया, जो वादीगण के वाद को पूर्ण रूप से समर्थन करते है, साथ ही वादीगण ने निवेदन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय DNJ 2000-01 Page-245 (B) जहां प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नही करें, और वादी के वाद/मामला का प्रतिरोध नही करें, तो वाद डिकी ही दी जावेगी। उक्त सम्पूर्ण दस्तावेज मौखिक साक्ष्य का विवेचन करने के बाद वादी का वाद डिकी होने योग्य पाया जाता है, यहां यह भी विचारणीय प्रश्न है कि वादी ने वाद प्रस्तुत किया, तब खसरा नम्बर अब बदल गये है, वर्तमान जमाबंदी रेकार्ड पर ली जाकर फर्द शामिल फायल की गई। तथा वर्तमान खसरा नम्बर 176 की 1.47 हैक्टर दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद (रामावतार मीणा)
आर.ए.एस.
उपखंड अधिकारी सांगोद

—:: आदेश ::—

अतः दावा वादी स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम घाटोलिया की खसरा नम्बर 126 की 9 बीघा 2 बिस्वा माल तृतीय तथा वर्तमान वर्तमान खसरा नम्बर 176 की 1.47 हैक्टर आराजी का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर वादीगण का नाम बहैसियत खातेदार राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण के स्थान पर दर्ज किया जावें। तथा वादी कम 1 के वारिसान 1/1 लगायत 1/6, 1/2 हिस्से में तथा वादी कम 2 रामरतन को 1/2 हिस्से में प्रतिवादीगण के स्थान पर दर्ज किया जावें। तथा प्रतिवादीगण को विवादित आराजी में शांतिपूर्वक काश्त करने में प्रतिवादीगण बांधा उत्पन्न न तो स्वंय करे, और न ही अपने ऐजेन्ट से करावें। नियमानुसार डिकी बनाई जाकर पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/12/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद (रामावतार मीणा)
आर.ए.एस.
उपखंड अधिकारी सांगोद